न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 42/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जमालदीन पुत्र गनी खां जाति तेली निवासी बाप तहसील बाप जिला जोधपुर
प्रार्थी...............

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर
अप्रार्थी............

उपस्थितः-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलंकी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः-23.12.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्व एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2544/16 रकबा 121.7697 हैक्टेयर में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 25.00 बीघा भूमि सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त पीढियों से चला आ रहा है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसे वाद का अभिन्न हिस्सा व अंग माना व समझा जावे। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के पूर्वजों का तथा सेटलमेंट होने पश्चात प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर अलग-अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करते आ रहे है तथा हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग लेते आ रहे है। लेकिन वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:35:51 IST
Reason: SelfAttested

सेटलमेंट उक्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजों को कब्जा व काश्त होने से बावजूद भी उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं की गई। प्रार्थी के पूर्वजों का उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक कब्जा व काश्त रहा तथा उनके फौत होने के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जा (एडवर्स पजेशन) के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये प्रार्थी ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2544/16 रकबा 121.7697 हैक्टेयर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 25.00 बीघा भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी को जरिये कानून रोका जाना आवश्यक है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2544/16 रकबा 121.7697 हैक्टेयर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 25.00 बीघा भूमि पर चले आ रहे प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो अप्रार्थी स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। जिस हेतु यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है-

सरकारी भूमि को लेकर प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। उक्त खसरा नम्बर 2544/16 रकबा 121.7697 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बाप सरकारी भूमि दर्ज है। जिस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही सरकारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है। उक्त भूमि सरकारी होने से प्रार्थी को समय-समय पर बेदखल किया जा रहा है। सरकारी भूमि को लेकर प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी व प्रार्थी के अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है और प्रार्थी अभिलिखित काश्तकार नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जो प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है और तहसीलदार बाप द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत समय-समय पर बेदखल किया जाता रहा है। राजकीय भूमि के सरक्षंण का भू-धारक को पूर्ण अधिकार है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित काश्तकार है। चूंकी वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की जानी उचित नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्राथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने के अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested